(182)

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी

PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2018/01987

तकेसिंह पिता श्री मोतीसिंह, आयु–55 वर्ष,
धंधा–खेती, निवासी–ग्राम किशोरपुरा, तहसील सुवासरा
जिला मन्दसौर ....आवेदक

---विरूद्ध--

1– सरदारसिंह पिता पर्वतसिंह,
2– लालकुंवर बेवा पर्वतसिंह
निवासी–ग्राम किशोरपुरा, तहसील सुवासरा
जिला मन्दसौर ....अनावेदकगण

21.3.18

पुनर्निरिक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 25/अ--5/17--18 में पारित आदेश दिनांक 08/02/18 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणो के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :-

01. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि एवं विधान के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

02. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने बिना किसी उचित एवम् वैध कारण के आवेदक की अपील निरस्त करने में महान वैधानिक त्रुटि की है ।

03. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने बिना किसी उचित एवम् वैध कारण के प्रकरण को स्थगित करते हुए नायब तहसीलदार को आदेश दिया हैं कि सिविल न्यायालय के निराकरण होने पर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवम् क्षेत्राधिकार के बाहर का होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अनुविभागीय अधिकारी को इस प्रकार का आदेश पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार नही है ।

04. यह कि, आवेदक ने कलेक्टर महोदय के न्यायालय में एक आवेदन पर धारा 107

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2018/1987 [तेजसिंह/सरदारसिंह]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-3-2018	आवेदक की ओर से श्री दिनेश ब्यास, अभिभाषक उपस्थित । ग्राह्यता पर सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । मूल प्रकरण कलेक्टर कलेक्टर न्यायालय में दर्ज है । यदि आवेदक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से पीडित है तो वह कलेक्टर के समक्ष इस सम्बन्ध में आपत्ति कर सकते हैं । इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा निगरानी में हस्तक्षेप किये जाने का प्रथम दृष्टया कोई औचित्य नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	